



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1942 (श10)  
(सं0 पटना 220) पटना, सोमवार, 30 मार्च 2020

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

30 मार्च 2020

अधिसूचना संख्या-02/2020 -राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 97 दिनांक 30 मार्च 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में, संख्या 554 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कम संख्या 25 के समक्ष,

(i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
“(i) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहॉलिंग की सेवाएँ	2.5	—”

(ii) मद (ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक “और (i)क)” को अंतः स्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8)—02]

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 मार्च 2020

एस० ओ० 97, दिनांक 30 मार्च 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8)—02]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डा० प्रतिमा,  
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

**The 30th March 2020****Notification No. 02/2020- State Tax (Rate)**

S.O. 97, Dated 30th March 2020—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

(a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	—

(b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)- 02 )]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 220-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>